राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्र. एफ 40(25)ग्रावि / नरेगा / एनजीओ / 2010 जयपुर, दिनांक 21-12-10

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा में स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी हेतु जारी निर्देश दिनांक 22.09.2010 के बिन्दु संख्या 9.4.7 के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत्।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक एफ1(2)ग्रावि / नरेगा / गाईडलाईन / एनजीओ / 2010 दिनांक 13.04.2010 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 22.09.2010**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्वयं सेवी संस्थाओं को कार्यकारी एजेन्सी बनाने हेतु जारी निर्देश दिनांक 22.09.2010 के संबंध में विभाग द्वारा समीक्षा कर बिन्दु संख्या 9.4.7 पर निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :–

क्र. सं.	बिन्दु सं.	दिशा निर्देश दिनांक 13.04.10 अनुसार	दि0 22.09.10 अनुसार जारी स्पष्टीकरण	संशोधित स्पष्टीकरण
(1)	9.4.7	कोई भी गैर सरकारी संगठन एक जिले में एक से अधिक कार्य / योजना का क्रियान्वयन नहीं कर सकेगा।	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वार्षिक कार्य योजना में पंचायत स्तर से कार्य सम्मिलित होने के पश्चात पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा अनुमोदन उपरान्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रति पंचायत समिति एक ग्राम पंचायत में अनुमोदित, गैर सरकारी संगठन को कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति जारी कर सकेंगे।	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वार्षिक कार्य योजना में पंचायत स्तर से कार्य सम्मिलित होने के पश्चात पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा अनुमोदन उपरांत जिला कार्यक्रम समन्वयक **प्रति पंचायत समिति अनुमोदित गैर सरकारी संगठन को स्वविवेक अनुसार ग्राम पंचायतों में कार्य करने की वित्तीय स्वीकृति जारी कर सकेंगे।**

भवदीय,

20/12/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग का अ.शा.टीप सं. मंत्री / ग्राविपरा / 2010 / 2284 दिनांक 26.11.2010 के क्रम में।
2. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यकम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उदयपुर को पत्रांक एफ ()ग्राविप्र / महानरेगा / 10–11 / 8764 दिनांक 27.11.2010 के कम में सूचनार्थ।

21/12/10

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस